


अर्जुनराम / महावीर प्रसाद - 45/2014

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25/8/22	<p>प्रभावहीन पत्र। अपीलाट/रेस्पॉण्डेंट आंध्रवक्ता में जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में भूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में भूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। एतदनुसार अपील अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रभावहीन केसल शुमार होकर नम्बर से कट होकर बाद तरजीब तकमीत दाखिल नफतर हो।</p> <p> अनिल कुमार II RAS भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प सुन्धुन)</p>	